

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सुरेश

हेतराम आदि

दाख बाबत :- 88.87 Act

मुकदमा नम्बर :- 155/2013

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से वकील शैलान सिंह की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील संजय गौरवाजी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शैलान सिंह को खस्ता सं० 170/159 के खसरा सं० 98/1 की 2.7560 हे०, खसरा सं० 99/1 की 3.7810 हे० कुल 6.5370 हे० कारणों खसतीदारी हवि मुनि प्रतिवादी सं० 1 हेतराम के नाम से राजस्व रिजिस्ट्रार में दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं० 1 हेतराम के नाम कलमपत्र किया जाकर वादी सुरेश प्रतिवादी सं० 2 उम्मेद सिंह, प्रतिवादी सं० 3 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 4 हेतराम को व हिस्सा नरामर के खसतीदार काबूतकार वासिंतु किये जाते हैं जो कि प्रतिवादी सं० 5 तथा 8 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 तथा 5 के पक्ष में लयाग कर मुद्रा कर किया है इसलिए लयाग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग का दाय पंजीयन मुल्य एवं रकम उभरा अदा करने व अदि हवि मुनि को क के रदन हो तो रदन मुक होने के उपरान्त ही राजस्व रिजिस्ट्रार में अमल हुआमद किया जावे राजीनामा का डिक्री का लयाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिफ्ट प्रभारी A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
मादरा, जिला हरियाणा
कैम्प
2021